उत्तर प्रदेश शासन

स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन

(नियोजन विभाग)

संख्या-05/2023(950/23)/3/4/35-एस0टी0सी0-2/2022-26

लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2023

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध बजट व्यवस्था रू0-528.00 लाख (रूपये-पांच करोड अटठाइस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0-48.00 लाख (रूपये-अडतालिस लाख मात्र) विभागाध्यक्ष एवं शेष धनराशि रूपये-480.00 लाख (रूपये-चार करोड अस्सी लाख मात्र) 34 जनपदों के संबंधित मुख्य विकास अधिकारियों को मदवार प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

<u>अनुदान संख्या- 40</u> (धनराशि लाख रूपयें में)

कोड सं0	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत कुल आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखे जाने हेतु जारी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 34 मुख्य विकास अधिकारियों के जनपदवार निवर्तन पर रखे जाने हेतु जनपद/ धनराशि	
01	02	03	04	05	06
	06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम	**(राजस्व पक्ष)**			
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	480.00	-	1-अम्बेडकर नगर	14.40
		-	-	2-अमेठी	14.40
		-	-	3-बलिया	38.40
		-	-	4-बॉदा	14.40
		-	-	5-महोबा	4.80
		-	-	6-बरेली	24.00
		-	-	7-पीलीभीत	4.80
		-	-	8-बस्ती	19.20
		-	-	9-संतकबीर नगर	14.40
		-	-	10-बिजनौर	9.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		-	-	11-बदायूँ	28.80
		-	-	12-गाजीपुर	28.80
		-	-	13-देवरिया	4.80
		-	-	14-गोरखपुर	14.40
		-	-	15-कुशीनगर	4.80
		-	-	16-जालौन	9.60
		-	-	17-ललितपुर	4.80
		-	-	18-एटा	14.40
		-	-	19-फरूखाबाद	9.60
		-	-	20-जौनपुर	9.60
		-	-	21-संतरविदास नगर	4.80
		-	-	22-कौशाम्बी	9.60
		-	-	23-प्रयागराज	14.40
		-	-	24-महाराजगंज	28.80
		-	-	25-गोण्डा	14.40
		-	-	26-बाराबंकी	9.60
		-	-	27-मिर्जापुर	24.00
		-	-	28-खीरी	19.20
		-	-	29-हरदोई	4.80
		-	-	30-सीतापुर	4.80
		-	-	31-संभल	33.60
		-	-	32-रामपुर	4.80
		-	-	33-अलीगढ	4.80
		-	-	34-कासगंज	14.40
42	अन्य व्यय	44.00	44.00	-	-
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	-	-	-	-
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफटवेयर का क्रय	2.00	2.00	-	-
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00	-	-
	योग-	**528.00**	**48.00**	**-**	**480.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- उक्तानुसार स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड--06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है

डा0 संजीव भारद्वाज
संयुक्त सचिव ।

संख्या-05/2022(950/22)/3/4/35-एस0टी0सी0-2/2022-26, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन-15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक- 17 मार्च, 2023 के संबंध में ।
6- अनुभाग अधिकारी (लेखा) नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- आहरण वितरण अधिकारी, स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन।
10- नियोजन अनुभाग-1
11- संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी ।
12- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।